

मैसर्स शिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड

बनाम

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त

10 मार्च, 2000

(डी.पी. वाधवा और रूमा पाल, जे.जे.)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944- धारा 3(1)- 100% ई.ओ.यू. योजना से इकाई को अलग करना- तैयार माल पर उत्पाद शुल्क लगाना- जो स्टॉक में पडा है, घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए डीबॉर्डिंग और मंजूरी की तारीख को, चाहे वह धारा 3(1) के तहत हो या धारा 12 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के साथ सपठित धारा 3(1) के परन्तुक के तहत हो, अभिनिर्धारित, अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान के तहत शुल्क वसूल योग्य है।

धारा 3(1) का परन्तुक- 100% ई.ओ.यू. से इकाई का डीबॉर्डिंग, चाहे वह भारत में बेचने की अनुमति मानी जावे- अभिनिर्धारित, डीबॉर्डिंग और भारत में बेचने की अनुमति दो अलग- अलग चीजें हैं जिनका एक- दूसरे

से कोई सम्बन्ध नहीं है- 100% ई.ओ.यू. द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, जिस समय डीबॉन्ड की मंजूरी दी जाती है- सरकार की नीति जिसके तहत ई.ओ.यू. योजना लागू हुई और आयात निर्यात नीति पर चर्चा की गई।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम- अध्याय 5- ए (नियम 100- ए से 100- एच) अभिनिर्धारित किया जाता है, लागू नहीं है, जहाँ इकाई बन्द करने के बाद ई.ओ.यू., ई.ओ.यू. योजना से बाहर हो जाती है।

अपीलार्थी एक 100% ई.ओ.यू. ने अपनी इकाई को 100% ई.ओ.यू. से हटाने की अनुमति माँगी थी, जिसके लिए उसे मंत्रालय द्वारा 18 अक्टूबर 1993 के अपने पत्र और उसके बाद 3 नवम्बर 1993 के पत्र के माध्यम से सैद्धान्तिक रूप से अनुमति दी गई थी जो कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन है जो अपीलकर्ता द्वारा विधिवत पूरी की गई, जिसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर के द्वारा किये गये अनंतिम मूल्यांकन के आधार पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क की जमा राशि भी शामिल है। एक बार यूनिट की डिबॉन्डिंग की अनुमति मिल जाने के बाद, पहले निर्मित तैयार माल को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के ओरोप पर घरेलू टेरिफ क्षेत्र (DTA) के लिये मंजूरी दी जा सकती थी। 2 फरवरी, 1994 को भारत सरकार द्वारा एक औपचारिक पत्र जारी किया गया था जिसमें अपीलार्थी

की इकाई को डी.टी.ए. इकाई के रूप में संचालित करने की अनुमति दी गई।

निर्धारित ने दावा किया कि अधिनियम की धारा 3(1) के तहत तैयार माल पर उत्पाद शुल्क देय का, साथ ही स्टॉक में पड़े उक्त तैयार माल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क भी देय था, उत्पाद शुल्क की दर उस समय प्रचलित दर थी जब भारत में उस तारीख को माल बेचा गया था जब 100% ई.ओ.यू. को रद्द कर दिया गया था। जो भारत में बिक्री के लिए हटाने की तारीख होगी और न कि उनके निर्माण की तारीख। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर अपने आदेश दिनांक 31 मार्च 1994 द्वारा, निर्धारिती द्वारा लिए गए रूख से सहमत नहीं थे। हालांकि, वे निर्धारित से इस हद तक सहमत थे कि डिबॉडिंग की तारीख को 15 नवंबर, 1993 के रूप में लिया जाना था, जब निर्धारिती ने लागू शुल्क का भुगतान किया था, न कि 2 फरवरी, 1997 को, जब मंत्रालय द्वारा औपचारिक डिबॉडिंग पत्र जारी किया गया था। अपील पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर ने निर्धारिती के पक्ष में इस मुद्दे पर फैसला किया। सी.ई.जी.ए.टी. ने 5 नवंबर, 1997 के अपने आदेश द्वारा राजस्व की अपील की अनुमति देते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 3(1) का प्रावधान लागू था। इसलिए, वर्तमान अपील की।

अपील की अनुमति इस न्यायालय द्वारा दी गई। अभिनिर्धारित-

सी.ई.जी.ए.टी. यह मानने में सही नहीं था कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क व नमक अधिनियम की धारा 3(1) के परन्तुक के अनुसार शुल्क लगाया जा सकता है। डीबॉडिंग पर पहले 100% ई.ओ.यू. में निर्मित और घरेलू टेरिफ क्षेत्र के लिये मन्जूरी दी गई, तैयार वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगाया जायेगा, जो अधिनियम की धारा 3(1) के तहत होगा। [245- ई]

2.1. ई.ओ.यू. द्वारा तैयार उत्पादों के 25 प्रतिशत की बिक्री की शर्त और डीबॉडिंग की तारीख को डिबॉडेड 100% ई.ओ.यू. द्वारा तैयार स्टॉक की बिक्री अलग- अलग है। समय- समय पर संशोधित ई.ओ.यू. योजना और अधिनियम की धारा 3 में संशोधन को देखते हुए, अधिनियम की धारा 3(1) के परन्तुक में "भारत में बिक्री की अनुमति" अभिव्यक्ति केवल डी.टी.ए. में ई.ओ.यू. द्वारा 100% उत्पादन के 25 प्रतिशत तक की गई बिक्री पर और विकास आयुक्त की अनुमति से लागू होती है। 100% ई.ओ.यू. द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, जो उस समय उसके पास होती है जब डीबॉड को मंजूरी दी जाती है। डिबॉडिंग के बाद, ई.ओ.यू., जो अब भारत में किसी भी अन्य विनिर्माण इकाई की तरह है, के लिए भारत में माल बेचने या सामान्य प्रक्रिया का पालन करके इसे निर्यात करने के लिए खुला है। [243- डी, 242- जी, 243- बी]

2.2 भारत में डीबॉडिंग और बेचने की अनुमति दो अलग- अलग पहलू हैं जिनका दो अलग- अलग प्राधिकरणों द्वारा दो अलग- अलग उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया जाता है, जिनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं है। भारत में बेचने की अनुमति निर्यात- आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए और इसमें मूल्यवर्धन, निर्यात दायित्व की पूर्ति, सामान्य मुद्रा लाईसेंस धारक की बिक्री, वस्तु का नकारात्मक सूची में नहीं होना और फिर 25 प्रतिशत की सीमा होना ओदि जैसे सभी कारक शामिल होने चाहिए। भारत में माल बेचने की अनुमति आयात नीति के अनुसार वाणिज्य मंत्रालय में विकास आयुक्त द्वारा दी जानी है। दूसरी ओर, जब डिबॉडिंग करने की अनुमति दी जाती है, तो उपरोक्त पहलुओं में से कोई भी अनुमोदन बोर्ड (बी.ओ.ए.) द्वारा लागू नहीं किया जाता है, जो [औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम द्वारा बनाया गया] वैधानिक निकाय है जो डीबॉन्ड करने की अनुमति देता है। बी.ओ.ए. किसी भी तरह से तैयार माल के समापन स्टॉक के तरीके या निपटान से संबंधित नहीं है। सामान। [242- सी- ई]

3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों का अध्यान 5- ए 100% ई.ओ.यू. में वस्तुओं के उत्पादन या निर्माण के लिये कुछ समय के लिए लागू किसी भी समय लागू कानून के तहत अनुमति प्राप्त व्यक्ति पर लागू होता है और जिसे भुगतान पर भारत में बेचे जाने के लिये ऐसे उत्पाद शुल्क योग्य

सामान पर उत्पाद शुल्क को हटाने की अनुमति दी गई है। यह अध्याय लागू नहीं होगा जहाँ ई.ओ.यू. इकाई को बंद करने के बाद ई.ओ.यू. योजना से बाहर है। [245- बी]

वालेस फ्लोर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर बॉम्बे प्रभाग III, [1989] 4 एसे.सी.सी.. 592 संदर्भित।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण मद्रास के ए.न. 1997 के एफ.ओ.सं. 3024 में ई./एस.बी./5262/95 में दिनांक 5.11.97 को निर्णय और आदेश से।

वी. श्रीधरन, वी. बालचंद्रन, वी. लक्ष्मीकुमारन, के. श्रीनिवास, अपीलार्थी की और से संधिल जगदीशन, ए.टी.एम. संपत और पी.पी. शर्मा अपीलार्थी की और से।

ए.के. गांगुली, एल.के.गुप्ता, दिलीप टंडन, पी. परमेश्वरन, ऋषि प्रत्यर्थी के लिए मल्होत्रा और एम. गौरीशंकर मूर्ति प्रत्यर्थी की और से।

न्यायालय का निर्णय डी.पी.वाधवा, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया।

यह अपील आदेश दिनांक 5 नवंबर, 1997 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') के आदेश के विरुद्ध निर्देशित है। प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक

अधिनियम, 1944 की धारा 3(1) के तहत (संक्षिप्त में अधिनियम) देय था, न कि धारा 3(1) के परन्तुक के तहत, जिसका अपीलार्थी द्वारा दावा किया गया।

अधिनियम की धारा 3(1) के परन्तुक के साथ, प्रासंगिक भाग में इस प्रकार है: धारा 3 केन्द्रीय शुल्क टेरिफ अधिनियम 1985 की अनुसूचि में निर्दिष्ट शुल्क लगाया जाना है-

(1)- उत्पादित नमक के अलावा सभी उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क ऐसे तरीके से लगाया जायेगा बशर्ते की उत्पाद शुल्क जो उत्पादित या विनिर्मित किसी भी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर लगाया और एकत्र किया जायेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है जो भारत में उत्पादित या निर्मित होती है और भारत के किसी हिस्से में निर्मित या भूमि पर आयातित नमक पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टेरिफ अधिनियम 1985 की अनुसूची में निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क:

(i) एक मुक्त व्यापार क्षेत्र में और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाया गया या

(ii) सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख वचनपत्र द्वारा और भारत में बेचने की अनुमति दी गई।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 12 के तहत भारत से बाहर उत्पादित या निर्मित समान वस्तुओं पर सीमा शुल्क के कुल के बराबर राशि होगी, यदि भारत में आयात किया जाता है, और जहां सीमा शुल्क के उक्त शुल्क उनके मूल्य के संदर्भ में प्रभार्य हैं; ऐसे उत्पाद शुल्क का मूल्य, इस अधिनियम के किसी अन्य अनुकूल दृष्टिकोण में कुछ भी निहित होने के बावजूद सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51)। स्पष्टीकरण 1. जहां ऐसी किसी भी समान वस्तु के संबंध में, उक्त धारा 12 के तहत अधिरोपणीय सीमा शुल्क अलग-अलग दरों पर अधिरोपणीय है, तो इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, ऐसा शुल्क उक्त धारा 12 के तहत उन दरों में से उच्चतम दर पर अधिरोपणीय माना जाएगा।

स्पष्टीकरण 2- इस परंतुक में,

(i) "मुक्त व्यापार क्षेत्र" का अर्थ है कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र और सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र और इसमें शामिल हैं।

कोई अन्य मुक्त व्यापार क्षेत्र जो केंद्र सरकार, इस आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट करें;

(ii) "सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम" से अभिप्रेत है - एक ऐसा उपक्रम है जिसे धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र

सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियुक्त बोर्ड द्वारा सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया है। उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) और इसके तहत बनाए गए नियम।

प्रासंगिक आयात नीति के तहत 100% निर्यात उन्मुख इकाई योजना (ई.ओ.यू.) में एक औद्योगिक इकाई की परिकल्पना की गई है जो अपने पूरे उत्पादन के निर्यात की पेशकश करती है, जिसमें अस्वीकृतियां या घरेलू शुल्क क्षेत्र को आपूर्ति करने के लिये अन्यथा विशेष रूप से अनुमति प्राप्त वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। केवल इस उद्देश्य के लिये स्थापित अनुमोदन बोर्ड (बी.ओ.ए.) द्वारा अनुमोदित औद्योगिक इकाइयाँ आयात के लिए पात्र हैं- योजना के तहत निर्यात उत्पादन के लिए उनके लिए आवश्यक पूंजीगत सामान, कच्चा माल, घटक और पुर्जे आदि। अनुमोदन बोर्ड द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर एक ई.ओ.यू. कुछ शर्तों के अधीन सीमा शुल्क, पूंजीगत सामान, कार्यालय उपकरण, प्रोटो- प्रकार और तकनीकी नमूने, उत्पादन सेट, कच्चा माल, घटक उपभोग्य वस्तुएं, मध्यवर्ती सामान, पैकिंग सामग्री, सामग्री हैंडलिंग उपकरण जैसे कांटा लिफ्ट, ओवरहेड क्रैन और पुर्जों के भुगतान के बिना आयात करने के लिये पात्र है। 100% निर्यात उन्मुख इकाई के रूप में अनुमोदन के लिये आवेदन औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय, उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने

हैं। इस तरह के ई.ओ.यू. को किसी भी परिस्थिति में घरेलू बाजार में निर्यात उत्पादन के निपटान की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए।

अपीलार्थी को एक 100% निर्यात उन्मुख स्थापित करने की अनुमति दी गई थी अपने कारखाने में जो तमिलनाडु राज्य के कोयंबटूर जिले में सिरूमुगल पर विस्कोस स्टेपल फाइबर के निर्माण के लिये इकाई (ई.ओ.यू.) के लिए, इस आशय का पत्र 19 दिसम्बर 1991 को इस उद्देश्य के लिये अपीलार्थी को जारी किया गया था। औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (ऐसे.औई.ए.), उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 8 सितंबर, 1993 को अपीलार्थी ने सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार को एक आवेदन दिया और अपनी इकाई को 100% ई.ओ.यू., यानि 100% ई.ओ.यू. योजना से हटाने की माँग की। वाणिज्य मंत्रालय के 18 अक्टूबर 1993 के पत्र द्वारा अपीलार्थी को 100% ई.ओ.यू. योजना से वापस लेने की अनुमति देने के लिये सैद्धान्तिक रूप से सहमति व्यक्त की गई थी। ई.ओ.यू. योजना उन शर्तों के अधीन जिस पर निकासी की अनुमति दी गई थी और जैसा कि पत्र के अनुलग्नक में उल्लेख किया गया है। एक बार इकाई का डिबॉडिंग अनुमति होने पर 100% ई.ओ.यू. में पहले निर्मित तैयार वस्तुओं को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगाने पर घरेलू शुल्क क्षेत्र (डी.टी.ए.) के लिए

मंजूरी दी जा सकती है। विवाद यह है कि यह शुल्क किस दर पर लगाया जाना है।

जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, यह अपीलार्थी का तर्क है कि उत्पाद शुल्क अधिनियम की मुख्य धारा 3(1) के तहत तैयार माल पर स्टॉक में पड़े उक्त तैयार माल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले आयातित कच्चे माल पर सीमा शुल्क के साथ देय है। दूसरी ओर राजस्व यह तर्क देता है कि अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान के तहत उत्पाद शुल्क तैयार माल पर देय है और तैयार माल के निर्माण में जाने वाले कच्चे माल पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जा रहा है।

यह अधिनियम की धारा 3(1) के परन्तु में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति" भारत में बेचने की अनुमति जो वास्तव में पक्षों के बीच विवाद की जड़ है। अपीलार्थी का तर्क है कि धारा 3(1) के परंतुक को लागू करने के लिए दो शर्तों को संचयी रूप से और साथ- साथ पूरा किया जाना चाहिये, (1) वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण मौजूदा 100% ई.ओ.यू. द्वारा किया जाना चाहिए और (2) इन वस्तुओं को भारत में बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए।

हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि हम उन ओधारों को बताए जिनके आधार पर अपीलार्थी ने 100% ई.ओ.यू. की डिबांडिंग की माँग की। वाणिज्य मंत्रालय में भारत सरकार की ओर से अक्टूबर, 1993 के पत्र

सँख्या 12/335/91- ई, पी. द्वारा, अपीलार्थी को बताया गया कि इकाई को बंद करने के उसके अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड (बी.ओ.ए.) द्वारा अपनी बैठक में 100% ई.ओ.यू. के लिए विचार किया गया था और इसे बंद करने की सामान्य शर्तों के अधीन अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया गया था। यह कहा गया था कि ऐसे.ओई.ए. द्वारा नियत समय में औपचारिक पत्र जारी किया जाएगा। यह भी बताया गया कि अपीलार्थी को सीमा शुल्क प्राधिकारी के साथ विभिन्न तौर- तरीकों पर काम करने और 100% ईओयू से डीटीए में बदलने के लिये सक्षम बनाने के लिए जारी किया जा रहा है और इसे लागू शुल्कों के भुगतान पर स्टॉक/इन्वेंटरी को जारी/निपटान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए जारी किया जा रहा है।

पत्र सं. E.O. 335(91)- ओई.एल./एम.और.टी.पी. दिनांक 3 नवंबर, 1993 से भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (ऐसे.ओई.ए.) में अपीलार्थी को यह सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की कि अपीलार्थी को 100% ई.ओ.यू. से हटने की अनुमति दी जाए। योजना पत्र के अनुलग्नक में उल्लिखित शर्तों के अधीन है। इस पत्र के साथ- साथ उसके अनुलग्नक को निर्धारित करना उचित होगा, जिसमें 100% ईओयू योजना से निकासी को नियंत्रित करने वाली शर्तें हों:-

"No. E.O. 335 (91)- ओई.एल./एम.और.टी.पी.

भारत सरकार उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विभाग औद्योगिक मंजूरी के लिए विकास सचिवालय

ई.ओ.यू. खंड

नई दिल्ली, 3 नवंबर, 1993 237

मैसर्स साउथ इंडिया विस्कोस लिमिटेड।

पी.बी. No.1844, 1977- ए,

त्रिची रोड, सिंगानल्लूर,

कोयंबटूर- 641, 005।

विषय :- अनुमति पत्र संख्या PER: 163(91)/E.O.335(91) औई.एल.
(एम.और.टी.पी.), दिनांक 18.12.1991 को 100% निर्यात उन्मुख योजना-
यूनिट की डिबॉडिंग के तहत विस्कोस स्टेपल फाइबर के निर्माण के लिये
जारी किया गया योजना- इकाई का विघटन। (E.O.335/91- औईएल/
(एम.और.टी.पी.)

सज्जनों,

मुझे उपरोक्त विषय पर वाणिज्य मंत्रालय को संबोधित आपके पत्र
का उल्लेख करने का निर्देश दिया गया है कि उसमें समझाई गई
परिस्थितियों में, भारत सरकार सैद्धान्तिक रूप से आपको 100% निर्यात

उन्मुख से बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए सहमत है। योजना, जिसके लिए अनुमति पत्र सं. PER:163(91)/E.O.335(91)- IL(MRTP), दिनांक 18.12.1991 आपको 18000 टन की वार्षिक क्षमता के लिए विस्कोस स्टेपल फाईबर के निर्माण के लिए दिया गया था। 100% EQU योजना से निकासी अनुलग्नक में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। (संलग्न)

2. अनुलग्नक में उल्लिखित शर्तों का पालन करने के बाद, ओप अंतिम डिबॉडिंग पत्र जारी करने के लिये अपने प्रशासनिक मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं।

3. जहाँ तक अनुमति के समर्पण के संबंध में पत्र संख्या PER: 163(91)/ E.O. 235(91) औई.एल./ एम.और.टी.पी.दिनांक 18.12.1991 प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात् मंत्रालय कपडा- ए और एमएमटी अनुभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली से एक अलग वार्ता होगी।

4. इस मामले में आगे कोई भी पत्राचार, यदि कोई हो, तो कृपया प्रशासनिक मंत्रालय को संबोधित अर्थात् कपडा कपडा मंत्रालय- ए और एम.एम.टी. अनुभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली को करें।

5. कृपया रसीद स्वीकार करें।

आपका विश्वासपत्र

ऐसडी

"अनुलग्नक"

100% ई.ओ.यू. योजना से निकासी को नियंत्रित करने वाली मानक शर्तें

(1) उपक्रम आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, घटकों उपभोग्य सामग्रियाँ और स्पेयर के साथ- साथ स्टॉक में तैयार माल पर सीमा शुल्क के अनुसार सभी दण्ड और अन्य शुल्कों के साथ सभी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क का भुगतान करेगा, अंतिम डिबॉडिंग पर जारी करने से पहले सीमा शुल्क अधिनियम और नियमों के अनुसार शुल्क का भुगतान करेगा।

(2) उपक्रम आयात लाईसेंसिंग प्राधिकारी के साथ गैर पूर्ति निर्यात दायित्व के लिये आयातित पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य का 10% जुर्माना भी जमा करेगा, जिसके लिए उसने 100% निर्यात उन्मुख इकाई के सम्बन्ध में कानूनी वचनपत्र निष्पादित किया था। इस जुर्माने का भुगतान अंतिम डिबॉडिंग पत्र जारी होने से पहले किया जायेगा।

(3) यदि उपक्रम ने बाहरी वाणिज्यिक उधार की सुविधा का लाभ उठाया है तो अंतिम डिबॉडिंग पत्र जारी होने से पहले उसका विनिवेश किया जाएगा।

(4) उपक्रम को घरेलू टेरिफ क्षेत्र योजना के तहत प्रस्ताव गतिविधि शुरू करने के लिए वर्तमान औद्योगिक अनुज्ञप्ति नीति के तहत एक नई मंजूरी प्राप्त करनी होगी।

(5) उपक्रम 5 साल की अवधि के लिये वार्षिक उत्पादन का 25% का आयात के सीओईएफ मूल्य के 5 गुना के बराबर राशि, जो भी अधिक है, का निर्यात दायित्व लेगा। इस उद्देश्य के लिये यह संबंधित आयात अनुज्ञप्ति प्राधिकरण के साथ एक वैध वचनपत्र निष्पादित करेगा।

(6) उपक्रम ऐसा भुगतान भी करेगा जो 100% निर्यात उन्मुख योजना के तहत प्राप्त अन्य भी प्रमुख लाभों के लिये आवश्यक हो सकते हैं। जब अपीलार्थी को 18 अक्टूबर, 1993 को वाणिज्य मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुआ तो उसने वस्तुओं और सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन के लिए केंद्रीय उत्पादन शुल्क के सहायक कलेक्टर से सम्पर्क किया जो देय था। अपीलार्थी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर द्वारा सूचित किया गया था। उनके पत्र नंबर C.No.VIII/48/3/92- का दिनांक 8 नवम्बर, 1993 को माल और शुल्कों का मूल्य निर्धारित किया गया है और इसे वहीं राशि भुगतान करने के लिये कहा गया था।

अपीलार्थी को यह भी सूचित किया गया कि मूल्यांकन अस्थायी आधार पर किया गया है।

वर्तमान मामले में विवाद तैयार माल से संबंधित है जो अपीलार्थी के 100% ई.ओ.यू. के डिबॉडिंग की तारीख से पहले निर्मित किया गया था। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि केंद्रीय उत्पादन शुल्क के सभी शुल्कों की माँग सहायक कलेक्टर द्वारा अपने पत्र संख्या C.No.VIII/48/3/92-क्यूस दिनांक 15 नवम्बर, 1993 को भुगतान किया गया था और जिसकी राशि रुपये 6, 62, 70, 540.76 है। यह भी विवादित नहीं है कि अपीलार्थी ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (ऐसे.औई.ए.) में 3 नवंबर, 1993 के पत्र में निर्धारित सभी शर्तों का भी पालन किया है।

2 फरवरी, 1994 को भारत सरकार के कपडा मंत्रालय द्वारा एक औपचारिक पत्र जारी किया गया था। जिसमें भारत सरकार ने अपीलार्थी की इकाई को बंद करने और इसे डी.टी.ए. इकाई के रूप में काम करने की अनुमति दी है। इस पत्र में इस तथ्य पर ध्यान दिया गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर द्वारा किए गए अनंतिम मूल्यांकन के आधार पर अपीलार्थी ने सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की राशि जमा की थी और अपीलार्थी को 16 नवंबर, 1993 को अपने स्टॉक में पड़े तैयार स्टॉक के साथ- साथ 8 दिसम्बर, 1993 से उत्पादन को भी अनंतिम

आधार पर समाप्त करने की अनुमति दी गई थी। अपीलार्थी को उद्योग मंत्रालय के 3 नवंबर, 1993 के पत्र द्वारा 100% ई.ओ.यू. योजना से हटने की सैद्धान्तिक अनुमति दिए जाने के बाद इसने 6 दिसंबर, 1993 से अपनी विनिर्माण गतिविधियों को डी.टी.ए. इकाई के रूप में मान्यता दी थी।

21 जनवरी, 1994 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर ने एक कारण बताओ नोटिस अपीलार्थी को जारी किया कि डिबॉडिंग की तारीख को स्टॉक में पड़े तैयार माल का आंकलन करें और अधिनियम की धारा 3 (1) के प्रावधान के तहत उत्पाद शुल्क की माँग करने के लिए कारण बताएँ। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर ने पहले अधिनियम की मुख्य धारा 3(1) के तहत शुल्क की माँग की थी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर द्वारा 14 फरवरी, 1994 को एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था, जिसमें कारण बताए जाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। 16 नवम्बर, 1993 से 1 फरवरी, 1994 तक अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान के तहत की गई मंजूरी के संबंध में शुल्क की माँग करना, अपीलार्थी द्वारा पहले से ही भुगतान किए गए शुल्कों में कटौती करने के बाद। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर द्वारा 21 फरवरी, 1994 को एक और शुद्धिपत्र जारी किया गया था। 31 मार्च, 1994 के अपने आदेश द्वारा केंद्रीय उत्पादन शुल्क के सहायक

कलेक्टर ने मूल रूप से अपना आदेश पारित किया जिसमें वह अपीलार्थी से इस हद तक सहमत थे कि डिबॉडिंग की तारीख 15 नवंबर, 1993 ली जानी चाहिए जब अपीलार्थी ने लागू शुल्कों का भुगतान किया था, न कि 2 फरवरी, 1994 को जब कपडा मंत्रालय द्वारा औपचारिक डिबॉडिंग पत्र जारी किया गया था। तथापि, अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान की प्रयोज्यता के संबंध में केंद्रीय उत्पादन शुल्क के सहायक कलेक्टर ने अपीलार्थी के खिलाफ मुद्दे का फैसला किया और तदनुसार मांगे गए शुल्क की पुष्टि की। पीडित अपीलाण्ट ने अधिनियम की धारा 35 के तहत केंद्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) के कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की। केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के कलेक्टर ने अपीलार्थी से सहमति व्यक्त की और इस मुद्दे का उसके पक्ष में फैसला किया और इस प्रकार अपील को स्वीकार कर लिया। अब यह राजस्व ही था जो दुखी था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर ने अधिनियम की धारा 35 बी के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर (अपील) के आदेश के खिलाफ अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की। 5 नवंबर, 1997 के आदेश द्वारा, जो विवादित है, न्यायाधिकरण ने राजस्व की अपील को यह मानते हुए स्वीकार कर लिया कि यह अधिनियम की धारा 3(1) का प्रावधान था, जो लागू था। हम ध्यान दे सकते हैं कि 14 फरवरी, 1994 को जारी किए गए कारण बताने के लिए शुद्धिपत्र को बाद में स्वयं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक

कलेक्टर द्वारा हटा दिया गया था। अब यह अपीलार्थी है जो इस न्यायालय के समक्ष आया है।

प्रतिद्वंद्वी विवादों की सराहना करने के लिए हम केन्द्र सरकार की नीति पर विचार कर सकते हैं जिसके तहत ई.ओ.यू. योजना लागू हुई।

अधिसूचना संख्या 13/81- क्यूस के तहत। दिनांक 9 फरवरी, 1981 को यथासंशोधित समय- समय पर (15 अक्टूबर 1992 तक) और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उप- धारा (1) के तहत जारी, निर्यात के लिए वस्तुओं के निर्माण के उद्देश्य से भारत में आयात किये जाने पर विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छूट दी या भारत से बाहर निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन या पैकेजिंग के संबंध में उपयोग किए जाने के लिए अनुमोदन बोर्ड (बी.ओ.ए.) द्वारा अनुमोदित ई.ओ.यू. द्वारा उस पर लगाए जाने वाले सीमा शुल्क और अधिसूचना में निहित शर्तों के अधीन अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई हो, से निर्दिष्ट वस्तुओं का भारत में आयात किया जाता है। शर्तों में से एक थी "इस तरह से निर्मित वस्तुओं के पाँच प्रतिशत या ऐसे अन्य प्रतिशत की मंजूरी पर जो कि उक्त बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जिन्हें भारत में बेचने की अनुमति है। अस्वीकृति की प्रकृति होने के कारण, आयातक को भुगतान करना होगा। अधिनियम की धारा 3(1) के तहत एसी वस्तुओं पर देय उत्पाद शुल्क के बराबर, जिनका निर्यात नहीं किया गया है। अधिसूचना का लाभ आयातक

द्वारा उठाया जा सकता है, यदि वह निर्धारित अवधि के लिये माल से पूर्ण या आंशिक रूप से निर्मित वस्तुओं का 100% या एेसा अन्य प्रतिशत, जैसा कि उक्त बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है, भारत से बाहर निर्यात करता है। इस अवधि की समाप्ति पर आयातक को आयातित पूंजीगत माल, सामग्री संचालन उपकरण, कार्यालय उपकरण, कैंपिटिव पावर प्लांट आदि मूल्यहास पर सीमा शुल्क का भुगतान करना पडता है लेकिन आयात के समय प्रचलित दरों पर और आयात के समय मूल्य पर और निपटान के समय लागू दरों पर बढे हुए आयातित कच्चे माल या घटकों पर सीमा शुल्क का भुगतान करना।

इसके बाद अधिनियम की धारा 3(1) का परंतुक धारा 3 में 1982 के अधिनियम 14 द्वारा जोडा गया। केन्द्र सरकार द्वारा 17 फरवरी, 1983 को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें परंतुक की शुरुआत को स्पष्ट किया गया था। यह कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र और सांताक्रुज इलेक्ट्रोनिक में इकाईयों पर लागू हुआ। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र उन्हें विदेश से आयातित समान वस्तुओं पर सीमा शुल्क के बराबर उत्पाद शुल्क के भुगतान पर डी.टी.ए. में उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक अपने सामान को बेचने की अनुमति देता है। इकाई द्वारा मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफ.टी.जेड.) के प्रभारी विकास आयुक्त/प्रशासक से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद ही डी.टी.ए. को मंजूरी दी जानी थी। परिपत्र में कहा

गया है कि विदेश से आयातित समान वस्तुओं पर सीमा शुल्क के बराबर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए अधिनियम की धारा 3(1) में पहले ही एक प्रावधान जोड़ा जा चुका है। 1984 में 1984 के अधिनियम 21 द्वारा अधिनियम की धारा 3(1) के परन्तुक में और संशोधन किया गया। संशोधन का प्रभाव यह था कि डीटीए में बिक्री की सुविधा अब 100% ईओयूएसे तक भी बढ़ा दी गई थी।

29 मई, 1984 को केन्द्र सरकार ने एक परिपत्र जारी कर अधिनियम की धारा 3(1) के परन्तुक में और संशोधन की व्याख्या की और इसमें कहा कि केन्द्र सरकार ने 100% ई.ओ.यू. को अनुमति देने का फैसला किया है जिसे उचित शुल्क के भुगतान पर घरेलू टेरिफ क्षेत्र (डी.टी.ए.) में अपने निर्यात योग्य उत्पादन का 25% से अधिक नहीं बेचने के लिए अनुमोदन बोर्ड (बी.ओ.ए.) द्वारा अनुमोदित किया था। इसके अलावा ये उपक्रम माल के ऐसे अन्य प्रतिशत का 5 प्रतिशत हटा सकते हैं जो बी.ओ.ए.द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, बशर्ते कि एसी वस्तुएं अस्वीकृति होने की प्रकृति की हो। यह इंगित किया गया कि धारा 3(1) के परन्तुक में संशोधन किया गया है और एसी वस्तुएं विदेश से आयातित समान वस्तुओं के सीमा शुल्क के कुल के बराबर उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी होगी। परिपत्र में प्रावधान किया गया है कि निर्यात योग्य उत्पादन का 25 प्रतिशत बेचने की अनुमति के लिए आवेदन केंद्रीय उत्पाद

शुल्क अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए जो उस तारीख को वास्तव में उत्पादित या निर्मित वस्तुओं की मात्रा को दर्शाता है।

18 जून, 1992 को एक सार्वजनिक सूचना संख्या 16- औई.टी.सी. (पी.एन.)/92- 97 जारी किया गया था। आयात और निर्यात सार्वजनिक सूचनाओं में से एक होने के नाते जिसके ई.ओ.यू.एसे. और निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ई.पी.जेड.एसे.) की इकाइयों द्वारा डीटीए में माल की बिक्री के लिए दिशा- निर्देश दिये गये थे।

सार्वजनिक सूचना में निर्यात और आयात नीतियों और प्रक्रियाओं की पुस्तिका (1992- 97) का उल्लेख किया गया है जिसमें ई.ओ.यू.एसे. और ई.पी.जेड.एसे. में इकाइयों द्वारा डीटीए में 25% तक माल की बिक्री का प्रावधान है और फिर दिशा- निर्देश निर्धारित किये गये जो डी.टी.ए. में बिक्री को नियंत्रित करेंगे। यह सार्वजनिक सूचना ई.ओ.यू. पर लागू नहीं हो सकी जब इसे सार्वजनिक सूचना में निर्धारित मानदंडों को देखते हुए रद्द कर दिया जाता है जो केवल उस इकाई पर लागू हो सकता है जो ई.ओ.यू. योजना से वापस नहीं ले रही है।

राजस्व का तर्क यह है कि योजना से निकासी की अनुमति है। स्वयं भारत में बेचने की अनुमति है, अर्थात्, जब इकाई को डीबॉड करने की अनुमति दी जाती है, तो यह माना जाएगा कि उसे भारत में माल बेचने की अनुमति दी गई है। लेकिन फिर भारत में बेचने की अनुमति निर्यात

आयात नीति के प्रावधानों के अनुसार या उसके अनुसार होनी चाहिए। 100% ई.ओ.यू. द्वारा भारत में बेचने की अनुमति में मूल्यवर्धन, निर्यात की पूर्ति जैसे सभी कारक शामिल हैं। दायित्व, सामान्य मुद्रा लाईसेंस धारक की बिक्री, वस्तु या नकारात्मक सूची में उल्लेख नहीं होना और फिर 25 प्रतिशत की सीमा होना आदि। जब डीबॉन्ड करने की अनुमति दी जाती है, तो इनमें से कोई भी मानदंड या पहलू मंजूरी बोर्ड (बी.ओ.ए.) द्वारा तैयार माल के समापन स्टॉक पर लागू नहीं किया जाता है। अनुमोदन बोर्ड एक संवैधानिक प्राधिकरण है जो डीबॉन्डिंग की अनुमति देता है। यह औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के तहत बनाया गया है। दूसरी और आयात नीति के तहत और उसके अनुसार भारत में माल बेचने की अनुमति वाणिज्य मंत्रालय में विकास आयुक्त द्वारा दी जानी चाहिए। अनुमोदन बोर्ड और विकास आयुक्त दो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए गठित दो अलग-अलग प्राधिकरण हैं। डीबॉन्ड की अनुमति देना एक संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किया जाना वाला एक संवैधानिक कार्य है। दूसरी और भारत में बेचने की अनुमति का प्रयोग विभिन्न वैधानिक प्राधिकरण द्वारा किया जाना है। यदि संबंधित आयात निर्यात नीति के पैरा 102 का संदर्भ दिया जाता है तो 100%ई.ओ.यू. द्वारा 25 प्रतिशत की सीमा तक भारत में बेचने के लिए विकास आयुक्त की अनुमति की आवश्यकता होती है। नीति का पैरा 117 100% ई.ओ.यू. के डिबॉन्डिंग से संबंधित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि डिबॉन्डिंग और भारत में बेचने की

अनुमति दो अलग- अलग चीजें हैं जिनका एक- दूसरे से कोई संबंध नहीं है। यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समय- समय पर संशोधित ई.ओ.यू. योजना और अधिनियम की धारा 3 में संबंधित संशोधनों को देखते हुए अधिनियम की धारा 3(1) के परन्तु में "भारत में बेचने जाने की अनुमति" केवल लागू होती है। डी.टी.ए.में 100% ई.ओ.यू.द्वारा विकास आयुक्त की अनुमति से उत्पादन का 25% तक बिक्री की गई। 100% ई.ओ.यू. द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है जो उस समय उसके पास होती है जब डिबाँड को मंजूरी दी जाती है।

भारत में तैयार माल के समापन स्टॉक को बेचने के लिए बी.ओ.ए. द्वारा मंजूरी दी गई है। ऐसा नहीं हो सकता। बी.ओ.ए. तैयार माल के समापन स्टॉक के निपटान के तरीके से संबंधित नहीं है। डीबॉडिंग के बाद पूर्ववर्ती 100% ईओयू के लिए खुला है, जो अब भारत में किसी भी अन्य विनिर्माण इकाई की तरफ सामान्य प्रक्रिया का पालन करके भारत में माल बेचने या इसके द्वारा निर्यात करने के लिए खुला है।

8 सितंबर, 1993 के अपने आवेदन द्वारा अपीलार्थी ने केवल केन्द्रीय सरकार से इकाई को डीबॉडिंग करने की अनुमति के बारे में पूछा था। औपचारिक डीबॉडिंग मंजूरी लंबित रहते हुए, अपीलार्थी ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह उसे भारत में माल बेचने की अनुमति दे सकती

है। अपीलार्थी के इस अनुरोध को संबंधित प्राधिकारी द्वारा कभी स्वीकार नहीं किया गया और रद्द करने का पत्र जारी किया गया इसलिए, अपीलार्थी के इस आवेदन को भारत में बेचने की अनुमति के लिए एक आवेदन के रूप में नहीं माना जा सकता है जैसा कि राजस्व द्वारा तर्क दिया गया है और बी.ओ.ए. के डीबॉडिंग पत्र को भारत में बेचने की अनुमति के रूप में नहीं माना जा सकता है। राजस्व का यह तर्क की डीबॉडिंग यह मानती है कि भारत में डीबॉडिंग की तारीख को माल के सभी बंद होने वाले स्टॉक को बेचने की अनुमति देना मामले को थोड़ा और आगे बढ़ाएगा। ई.ओ.यू. द्वारा तैयार उत्पादों के 25 प्रतिशत की बिक्री और डीबॉडिंग की तारीख को डिबॉडेड 100% ई.ओ.यू. द्वारा तैयार स्टॉक की बिक्री की शर्तें अलग-अलग हैं।

अपीलार्थी की ओर से श्री लक्ष्मीकुमारन, विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 9 ए (1)(ii) के तहत अधिनियम शुल्क माल को हटाने की तारीख की दर से प्रभावी है, न कि उनके निर्माण की तारीख से। देखें वालेस फ्लोर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर, बॉम्बे, डिवीजन III, [1989] 4 एसे.सी.सी. 592। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि माल का निर्माण कब किया गया था और यह भारत में बिक्री के लिए हटाने की तारीख है जो मायने रखी है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि केन्द्रीय

उत्पाद शुल्क उस समय प्रचलित दर पर लगाया जा सकता है जब अपीलकर्ता द्वारा भारत में माल बेचा गया था, जब 100% ईओयू को रद्द कर दिया गया था, जो भारत में बिक्री के लिए हटाने की तारीख होगी।

हम इस अपील में राजस्व द्वारा दायर जवाबी हलफनामे का भी उल्लेख कर सकते हैं। यह कहा गया है कि दिसम्बर, 1991 में अपीलार्थी ने 100% ई.ओ.यू. शुरू किया और ई.ओ.यू. चलाने के लिए निर्धारित सभी नियमों और विनियमों का पालन कर रहा था। इकाई के खराब संचालन के कारण अपीलार्थी ने इकाई के डिबॉडिंग के लिए आवेदन किया जिसे अक्टूबर, 1993 में स्वीकार कर लिया गया था। विभाग ने डिबॉडिंग की तारीख को पडे तैयार माल के स्टॉक पर शुल्क की माँग करते हुए कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया जो अधिनियम की धारा 3(1) के परन्तुक के अनुसार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के तहत देय सीमा शुल्क के बराबर है।

डी.टी.ए. में ई.ओ.यू. द्वारा बेचे जाने वाले सामानों के 25% पर शुल्क लगाने का प्रावधान है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि यह स्वयं राजस्व का रूख है कि अधिनियम की धारा 3(1) का परन्तु डी.टी.ए. में ई.ओ.यू. द्वारा बेचे गए माल के 25 प्रतिशत पर लागू होता है।

बॉडिंग या डिबॉडिंग की अवधारणा को अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 दोनों के तहत अच्छी तरह से समझा जाता है। ई.ओ.यू. का पूरा संचालन सीमा शुल्क बंधुओ कारखाने में होना चाहिए, जब तक कि अन्यथा भौतिक बंधन से विशेष रूप से छूट न हो। अनुमोदित इकाई को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित विकास आयुक्त के साथ एक बांड/कानूनी वचनपत्र निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। ई.ओ.यू. के लिए निर्धारित शर्तों के तहत इकाइयों के लिए बंधन अवधि ई.ओ.यू. योजना के तहत दस साल का समय होता है। तेजी से तकनीकी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी उत्पादों के मामले में अनुमोदन बोर्ड द्वारा इस अवधि को घटाकर पाँच साल किया जा सकता है। बंध अवधि के पूरा होने पर इकाई के लिए योजना के तहत जारी रहने या योजना के बाहर निकलने का विकल्प खुला रहेगा। हालांकि, इस तरह का डिबॉडिंग उस समय लागू औद्योगिक नीति के अधीन है जब विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अनुमोदन बोर्ड की संतुष्टि पर, ई.ओ.यू. को निर्यात दायित्वों, मूल्यवर्धन या अन्य आवश्यकताओं को प्राप्त करने में असमर्थता पर डिबोन्डेड किया जा सकता है। इस तरह की डिबॉडिंग एसी सजा के अधीन है जो अधिरोपित की जा सकती है और निम्नलिखित शुल्क लगाए जा सकते हैं:-

(क)- पूंजीगत वस्तुओं पर मूल्यहास पर लेकिन दरों पर सीमा शुल्क आयात की तारीखों पर प्रचलित:

(ख)- अप्रयुक्त कच्चे माल और घटकों पर सीमा शुल्क आयात की तारीखों पर और तारीखों पर लागू दरों पर मूल्य निकासी।

जब तक कोई विशिष्ट निषेध न हो, डी.टी.ए. में ई.ओ.यू. को बिक्री की अनुमति है। सभी 5 प्रतिशत तक के उत्पादन या अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाले ऐसे प्रतिशत को लागू शुल्कों और अन्य शर्तों के भुगतान के अधीन सभी अस्वीकार करते हैं। डी.टी.ए. बिक्री पात्रता 25 प्रतिशत है। यह कुल उत्पादन के पूर्व- कारखाना मूल्य के संबंध में निर्धारित किया जाना है, जिसमें अस्वीकृति के अनुमेय स्तर शामिल नहीं है। डी.टी.ए. बिक्री का हक कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत तक हो सकता है बशर्ते की पानी, बिजली, सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के पुर्जों को छोड़कर अंतिम उत्पादों के स्वदेशी घटकों का मूल्य उत्पाद की लागत के 30 प्रतिशत से अधिक हो। इस तरह की पात्रता 15 प्रतिशत तक तभी हो सकती है जब स्वदेशी घटकों का मूल्य कुल लागत के 30 प्रतिशत से कम हो।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अध्याय V- A में मुक्त व्यापार क्षेत्र या 100% ई.ओ.यू. से उत्पाद शुल्क योग्य घरेलू उपभोग वस्तुओं को हटाने के लिए प्रावधान है यह अध्याय ई.ओ.यू. योजना के तहत इकाइयों पर एक अधिसूचना संख्या 130/84- सी.ई. दिनांक 26 मई, 1984 द्वारा लागू किया गया था। इस अध्याय में नियम 100 ए से 100 एच तक है। नियम 100

ए में कहा गया है कि इस अध्याय के प्रावधान उस व्यक्ति को लागू होंगे जिसे किसी 100% निर्यात उन्मुख उपक्रम में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण करने के लिए किसी समय लागू किसी कानून के तहत अनुमति दी गई है और जिसे उचित अधिकारी द्वारा उस पर देय उत्पाद शुल्क के भुगतान पर भारत में बेचे जाने वाले ऐसे उत्पाद शुल्क को हटाने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि यह अध्याय V- A वहाँ लागू नहीं होगा जहां इकाई को बंद करने के बाद ईओयू, ईओयू योजना के बाहर है। नियम 100 एच नियम 57 ए और उसमें उल्लिखित अन्य नियमों के तहत 100% निर्यात उन्मुख उपक्रम द्वारा उत्पादित या निर्मित उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे। नियम 57 ए सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के किसी भी क्रेडिट की अनुमति देने से संबंधित है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, निर्माण में या उसके संबंध में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर भुगतान किया जाता है और अंतिम उत्पादों के लिए और अंतिम उत्पादों पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क भुगतान के लिए दिये गये क्रेडिट का उपयोग करने के लिए।

मामले के पूरे पहलू पर विचार करते हुए, हमारी राय है कि न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में सही नहीं था कि केंद्रीय

उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3(1) के परन्तुक के संदर्भ में शुल्क लगाया जाना चाहिए। इसलिए, हम न्यायाधिकरण के विवादित फैसले को अपास्त करते हैं और 11 अक्टूबर, 1994 के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलेक्टर के फैसले को बहाल करते हैं। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजकुमार चौहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।